



राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
दूरभाष: 0522-2720383, 384, 137, 138, 139 फैक्स: 0522-2720056



पत्रांक : विप0-1 / 446(2) / 2022-1762

दिनांक: २२-७४-2022

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ0प्र0 के पत्रांक: कृविकृविव्यानि० / 326 / विप०(प्रस्ताव)१-२०/ 2022-23 दिनांक 20.06.2022 द्वारा घोषित एवं निर्मित प्रधान मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल से निजी मण्डी स्थल एवं सीधा विपणन की दूरी अवधारित करने की अपेक्षा की गयी है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा-7(2) में निम्न व्यवस्था है:-

राज्य सरकार, जहाँ लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे अधिसूचना द्वारा-

- (क) प्रधान मण्डी स्थल या उप-मण्डी स्थल के क्षेत्र में किसी क्षेत्र को समिलित कर सकती है या उससे कोई क्षेत्र निकाल सकती है या वर्तमान प्रधान मण्डी स्थल या उप-मण्डी स्थल को समाप्त कर सकती है और नये प्रधान मण्डी स्थल या उप-मण्डी स्थल घोषित कर सकती है।
- (ख) घोषित कर सकती है कि किसी मण्डी क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद में से सभी या किसी का थोक संव्यवहार उसके प्रधान मण्डी स्थल या उप-मण्डी स्थलों के भीतर केवल किसी विनिर्दिष्ट स्थान या स्थानों पर किया जायेगा :

प्रतिबंध यह है कि इस खण्ड के उपबन्ध का कोई प्रभाव, निम्नलिखित पर नहीं होगा:-

- 1- मण्डी उप स्थल,
 - 2- सीधा विपणन,
 - 3- निजी मण्डी स्थल,
 - 4- एकीकृत लाइसेन्स के माध्यम से व्यापार,
 - 5- न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अधीन क्य केन्द्र
 - 6- निदेशक, मण्डी परिषद द्वारा अनुमोदित डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से व्यापार :
- “प्रतिबंध यह है कि मण्डी समिति अथवा निदेशक, कृषि विपणन द्वारा जारी लाइसेन्स, घोषित एवं निर्मित प्रधान मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल से विनिर्दिष्ट दूरी के अन्तर्गत नहीं होंगे, जैसा कि निदेशक, मण्डी परिषद द्वारा अवधारित किया जाय।”

उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार विनिर्दिष्ट दूरी निर्धारित करने के लिए अपर निदेशक मण्डी परिषद की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। गठित समिति की रिपोर्ट दिनांक 02.08.2022 को प्रस्तुत की गयी।

समिति द्वारा प्रस्तुत अभिमत के क्रम में उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा-7 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के प्रतिबंधात्मक खण्ड में यथावर्णीत पद ‘मण्डी समिति अथवा निदेशक, कृषि विपणन द्वारा जारी लाइसेन्स घोषित एवं निर्मित प्रधान मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल से विनिर्दिष्ट दूरी के अन्तर्गत नहीं होंगे,’ में उपर्युक्तानुसार प्रथम प्रतिबंधात्मक खण्ड के क्रमांक-2 एवं 3 पर अंकित उद्देश्यों के लिए विनिर्दिष्ट दूरी निम्नवत् अवधारित की जाती है:-

1— घोषित एवं निर्मित प्रधान मण्डी स्थल से न्यूनतम पाँच किलोमीटर,
अथवा

घोषित एवं निर्मित उप मण्डी स्थल (जिसमें निर्मित एवं उप मण्डी स्थल के रूप में
घोषित रिन (RIN) भी सम्मिलित है) से न्यूनतम तीन किलोमीटर,
अथवा

निर्मित ए०एम०एच०, जो उप मण्डी स्थल घोषित है, से एक किलोमीटर,
एवं


2— नगरीय निकाय की अधिसूचित सीमा से बाहर।
अतः समस्त संबंधित उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(अंजनी कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकनः पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि—अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. विशेष सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग—1, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उप निदेशक (प्रशासन/विपणन), मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त सभापति/सचिव, मण्डी समितियाँ, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त अधिकारी, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
7. सिस्टम एनालिस्ट को मैसेज बॉक्स/मण्डी परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड फाईल हेतु।


(दिलीप कुमार त्रिगुणायत)
उपनिदेशक (प्रशा०/विप०)